

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 374 दिनांक:- 06/11/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत लाई खालसा रिजर्व फॉरेस्ट एवं पैलापत्थल रिजर्व फॉरेस्ट में कुल 166.00 हे० वनभूमि का पलामू ब्याघ्र परियोजना के लाटू कुजरूम एवं अन्य गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास (Voluntary relocation) हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंग :-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक- 8-35/2021-FC दिनांक- 29.11.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 8-35/2021-FC दिनांक- 29.11.2022 द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 19 शर्तों पर स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I की स्वीकृति में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 290 दिनांक 21.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया। अनुपालन प्रतिवेदन के जांच के क्रम में कतिपय कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयी, जिसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 256 दिनांक 09.03.2023 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया।

पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 641 दिनांक 31.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन
A.	<b>Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-11 approval.</b>	
i	The area of Palamau Tiger Reserve to be vacated shall be mutated in the name of State Forest Department and notified as RF/PF	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ने सूचित किया गया है कि "The villages to be resettled namely Kujrum and Latu are forest villages situated inside the Core Area of Palamau Tiger Reserve and are already part of Baresanr Reserve Forest."
ii	The State Government shall ensure that the area under the villages which is proposed to be shifted outside the Palamau Tiger Reserve will become inviolate after the shifting and no families are left within these villages for further relocation;	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ने सूचित किया गया है कि "The villagers of Kujrum and Latu have agreed to be resettled out from the Core Area of the Palamau Tiger Reserve entirely. No families has shown any dissent from resettlement."
iii	The correct and complete KML files of the area proposed for diversion, area of Palamau Tiger Reserve to be vacated shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before handing over the forest land to the user agency;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है।



iv	The State Government shall ensure that complete process for recognition and identification of rights as per the provisions of the Forest Rights Act, 2006 has been completed in the area proposed for diversion and area of Palamau Tiger Reserve proposed to be vacated in accordance with the relevance guidelines issued by the Ministry in this regard and compliance of the same shall be submitted along with Stage- I compliance;	FRA 2006 के तहत उपायुक्त लातेहार के पत्रांक 76 दिनांक 21.03.2023 एवं पत्रांक 11 दिनांक 20.09.2021 द्वारा अनापति प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति प्राप्त है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है। अनु0-A, B
v	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन Website पर अपलोड किया गया है जिसे इस स्तर से भी अपलोड किया जा रहा है।
B.	<b>Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department and undertaking in this respect shall be submitted prior to Stage-11 approval.</b>	
i	Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the State in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 and Ministry's Guidelines dated 20.05.2019;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-1
ii	The rights of the villagers in the area to be vacated from the Palamau Tiger Reserve will be extinguished in accordance with the relevant statutes to ensure that in future the area remains free from all encumbrances;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-2
iii	The State Government shall take effective steps to ensure that the villagers being relocated from the core area do not return to the area. The rights of the relocated persons over the vacated land shall be legally extinguished using the due procedure as prescribed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-3
iv	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels, preferably fuels other than firewood, to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-4
v	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-5
vi	The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-6
vii	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-7
viii	The forest land proposed to be diverted may be transferred by the State Government to villagers being rehabilitated;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-8



ix	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-9
x	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-10
xi	The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-11
xii	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-12
xiii	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project; and	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-13
xiv	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action shall be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। अनु0-14

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है अथवा बचनबद्धता दी गयी है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 166.00 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 374

दिनांक 06/4/2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार/उप निदेशक PTR उत्तरी वन प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.D.  
6.4.23





# कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू।

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर– 822101

Tel.-06562-295542, 295543/8987790231

Email-rcf-palamu@gov.in

पत्रांक 641 दिनांक 31.03.2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रांची।

विषय :- Compliance report of the conditions imppsed for In-principle approval  
for non-forestry use of 166 ha of forest land in Lai-Pailapathal PF.

प्रसंग :- भवदीय कार्यालय का पत्र संख्या 256 दिनांक 09.03.2023  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र  
परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, के पत्र संख्या 266 दिनांक 31.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा  
स्टेज -1 की स्वीकृति के क्रम में बिन्दु -B के सभी 14 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा शर्त  
संख्या- A (V) का अनुपालन प्रतिवेदन चार प्रतियों में समर्पित किया गया है।

उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, से प्राप्त अनुपालन  
प्रतिवेदन तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।



विश्वासभाजन

(Signature) 31-03-23  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक  
पलामू, मेदिनीनगर  
31.03.23